प्रतिलिपि ... 18/5/12

न्यायालय उपजिलाधिकारी देवरिया

रमेश चन्द राव	वाद संख्या 21 /2012 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0अ0
बनाम	साकिन रामपुर खास तप्पा तरकुलवा परगना शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश सरकार	तहसील व जिला देवरिया

आदेश

प्रस्तुत वाद उत्तर प्रदेश ज0वि0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत दाखिल कर कहा गया है कि आराजी नं0 426 रकबा 1.716 हे0 स्थित मौजा रामपुर खास तप्पा तरकुलवा परगना शाहजहापुर तहसील व जिला देवरिया में बकदर रकबा 1.064 हे0 विक्रेता अम्बरीश कुमार पुत्र रमेश चन्द व मु0 कौशल्या देवी पत्नी रमेश चन्द्र साकिन रामपुर खास में रमेश चन्द राव नव तप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ, देवरिया उत्तर प्रदेश के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा कराकर अपने स्थान पर काबिज दाखिल करा दिया है तथा उपरोक्त भूमि में महाविद्यालय के भवन का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को आवासीय भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में कहा गया है कि आराजी नं0 426 रकबा 1.064 हे0 स्थित मौजा रामपुर खास तप्पा तरकुलवा परगना शाहजहापुर तहसील व जिला देवरिया जो रमेश चन्द राव नव तप्पी महाविद्यालय रामपुरपढ देवरिया के नाम अंकित है को आवासीय भूमि घोषित करने की कृपा की जावे।

प्रार्थना–पत्र के आधार पर तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार रामपुर खास तप्पा तरकुलवा शाहजहांपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित आराजी नं0 426 मी रकबा 1.064 हे0 पर महाविद्यालय भवन एवं सहन एवं फिल्ड के रुप में स्थित है उक्त आराजी अकृषिक प्रयोजन की भूमि है इस प्रकार प्राप्त तहसील आख्या के अनुसार उक्त भू–भाग को अकृषिक(आवादी) घोषित किए जाने में कोई विधिक त्रुटि नही प्रतित होती है।

अतः ग्राम रामपुर खास तप्पा तरकुलवा परगना शाहजहापुर तहसील व जिला देवरिया के खतौनी वर्ष 1414 से 1419 फसली के खाता संख्या 10 के आराजी नं0 426 मी0 रकबा 1.064 हे0 को अकृषिक (आवादी) घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 18.05.2012

18/5/12
उपजिलाधिकारी
देवरिया

368
18-5-12
700
150
19-5-12
19/5/2012

प्रतिलिपिकार
19/5/12
परगना
देवरिया

19/5/12

Scanned with CamScanner